[Central GST Act]

The Central Goods and Services Tax Act, 2017

[1](No. 12 of 2017)

An Act to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the Central Government and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER - I

PRELIMINARY

Section 1 : Short title, extent and commencement

(1) This Act may be called the Central Goods and Service Tax Act, 2017.

(2) It extends to the whole of India. [2][****]

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by [3]notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

---

1 Received the Assent of President of India on 12-04-2017 and published in Gazette of India on 12-04-2017.

2 The words "except the State of Jammu and Kashmir." omitted by CGST (ExtensiontoJammu and Kashmir) Act, 2017 (No. 26 of 2017) w.e.f. 08-07-2017.

3 **Refer Notification No. 1/2017-Central Tax, dt. 19-06-2017**–sections 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 139, 146 and 164 of the said Act shall come into force w.e.f. 22nd day of June, 2017.

Notification No. 9/2017-Central Tax, dt. 28-06-2017–sections 6 to 9, 11 to 21, 31 to 41, 42 except the proviso to sub-section (9) of sections 42, 43 except the proviso to sub-section (9) of sections 43, 44 to 50, 53 to 138, 140 to 145, 147 to 163, 165 to 174 of the said Act, shall come into force w.e.f. 1st day of July, 2017.

Notification No. 50/2018-Central Tax, dt. 13-09-2018–Date of enforcement of section 51 is 01-10-2018.

Notification No. 51/2018-Central Tax, dt. 13-09-2018–Date of enforcement of section 52 is 01-10-2018.

भाग–I

[केन्द्रीय माल और सेवा कर विधि]

[1]

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

[1](2017 का अधिनियम संख्यांक 12)

केन्द्रीय सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की राज्य के भीतर पूर्ति पर कर के उद्‌ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

अध्याय 1
प्रारंभिक

धारा 1 : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका विस्तार [2][......] संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, [3]अधिसूचना द्वारा, नियत करें:

परंतु इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारिखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

---

1 भारत के राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 12.04.2017 को प्राप्त हुई एवं भारत के राजपत्र में दिनांक 12.04.2017 को प्रकाशित हुआ।

2 केन्द्रीय माल और सेवा कर (जम्मू–कश्मीर राज्य पर विस्तार) अधिनियम, 2017 (2017 का क्रमांक 26) द्वारा शब्द ''जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय'' विलोपित (प्रभावशील दिनांक 08.07.2017)।

3 **देखें अधिसूचना क्रमांक 01/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 19.06.2017**–धारा 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 139, 146 और 164 दिनांक 22.06.2017 से प्रभावशील किये गये।

अधिसूचना क्रमांक 09/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2017–धारा 43(9), 44 से 50, 53 से 138, 140 से 145, 147 से 163, 165 से 174 को छोड़ कर 6 से 9, 11 से 21, 31 से 41, 42 दिनांक 01.07.2017 से प्रभावशील किये गये।

देखें अधिसूचना क्रमांक 50/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 13.09.2018–धारा 51 दिनांक 01.10.2018 से प्रभावशील किया गया।

देखें अधिसूचना क्रमांक 51/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 13.09.2018–धारा 52 दिनांक 01.10.2018 से प्रभावशील किया गया।